

अनुमति पत्र

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण को स्वयंसेवा समिति नहीं करती है।
- (ii) किलो भी प्रकार का विवाद (स्वामिक, राजकीय, आ अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई अंतरदायि तथा न ही नियम किलो कतिपय के लिए उत्तरदायि
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन नियम न करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वयंसेवा समिति को उत्तरदायि है।

प्रकल 19/3की केवल आवासीय प्रधीजनार्थ

कार्यालय नम्बर 1005/3862, 9863

आवेदन क्रमांक 57 दिनांक 12/04/2019

प्राधी श्री सुभाष 3/0 की शरीर एन पासोवाल

ने राजस्थान नगरपालिका नियम 2009

धारा 19-1 (1) के अन्तर्गत आवासीय

भवन निर्माण के लिए कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण नम्बर 38, 1771-कला (क)

जरिये रसीद संख्या 1005/3862, 9863

दिनांक 12/04/2019 को जमा करा दी है।

प्रमुख को
प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

P.No: 16 धुखी राज नगर

खसरा संख्या 5/7 साम का

चौहाना

जी + 1

आवासीय

(ओमप्रकाश मिश्रा)
(9950461544)